



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

क्रमांक :- राप्रनिम./क्षे0का0/अलवर/निविदा/2025-26/2102

दिनांक:- 26.02.2026

ई-निविदा सूचना सं.-02/2025-2026

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर को वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु जॉब बेसिस आधार पर मानव संसाधन सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/संवेदको/ निविदादाताओं से वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन ई-बिड निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

कार्य विवरण	निविदा की अनुमानित लागत [लाखों में]	निविदा शुल्क	RISL शुल्क	निविदा प्रतिभूति राशि	ई-बिड प्रारम्भ होने की तिथि	ई-बिड अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी ई-बिड खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8
कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक-03	20.00	Rs. 500	Rs. 500	Rs. 40000	27.02.2026	09.03.2026 दोपहर 01:00 बजे तक	11.03.2026 प्रातः 01:00 बजे
प्रयोगशाला परिचारक (प्रयोगशाला हेतु)-01							
क्षेत्र सहायक (प्रयोगशाला हेतु)-01							
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-02							
बागवान (अंशकालीन)-01							
सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)-02							

- 1- इच्छुक बोलीदाता निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट <http://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb> से प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- बिड प्रपत्र राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT ALWAR के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3- बोली प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT ALWAR के नाम से जमा करवानी होगी।
- 4- RISL फीस का डीडी/बैंकर्स चेक रुपये 500/-MD, RISL, Jaipur के नाम से देय होगा।
- 5- बिड प्रपत्र शुल्क, RISL शुल्क, बोली प्रतिभूति शुल्क के बिना बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।

NIB Code- UBN Code-

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, अलवर

दिनांक:- 26.02.2026

क्रमांक :- राप्रनिम./क्षे0का0/अलवर/निविदा/2025-26/2103-2104

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईटों पर आज ही अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।

क्षेत्रीय अधिकारी




ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026


मानव संसाधन सेवाएँ कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा


क.सं.	कार्य विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	विवरण
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक-03	रूपये 20.00 लाख	रूपये 500/-	ई-बोली द्वारा
2	प्रयोगशाला परिचरक (प्रयोगशाला हेतु)-01			
3	क्षेत्र सहायक (प्रयोगशाला हेतु)-01			
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-02			
5	बागवान (अंशकालीन)-01			
6	सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)-02			

Date of publication of Bid document	27-02-2026
Bid uploading Start Date	27-02-2026
Last date of physical submission of documents viz Bid document fees, RISL Processing fees and Bid Security	09-03-2026 दोपहर 01:00 बजे तक
Last date & time of uploading of Bid Document	09-03-2026 दोपहर 01:00 बजे तक
Date and Time of Opening of Technical Bids	11-03-2026 दोपहर 01:00 बजे


क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, अलवर









क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

बोली आमंत्रण सूचना विवरण

कार्य का नाम - मानव संसाधन सेवाएँ कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा-

1.	उपापन प्राधिकारी का नाम व पता	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर पता:-ब्लाक-डी, अम्बेडकर नगर, अलवर (राज.) पिन-301001
2.	विषय-वस्तु/कार्य का नाम	मानव संसाधन किराये पर लिया जाना- कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, प्रयोगशाला परिचारक, क्षेत्र सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन), सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)
3.	बोली प्रक्रिया	दो बिडिंग:- दो भाग (तकनीकी एवं वित्तीय) खुली प्रतियोगिता में ई-बिड प्रक्रिया
4.	बोली मूल्यांकन मापदण्ड (चुनाव प्रणाली)	कम से कम कीमत आधारित चयन (LCBS)
5.	बोली दस्तावेज, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट इत्यादि डाउनलोड करने के लिये वेबसाइट	https://eproc.rajasthan.gov.in https://sppp.rajasthan.gov.in https://www.environment..rajasthan.gov.in/rpcb
6.	बोली की अनुमादित राशि	20.00 लाख
7.	बोली प्रतिभूति राशि एवं भुगतान का प्रकार	40000/- भुगतान का प्रकार :- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT ALWAR के नाम देय हो।
8.	बोली प्रपत्र शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	500/- भुगतान का प्रकार :- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT ALWAR के नाम देय हो।
9.	RISL प्रोसेसिंग शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	500/- भुगतान का प्रकार :- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक MD RISL, JAIPUR के नाम देय हो।
10.	बोली दस्तावेज की बिक्री की अवधि (आरम्भ एवं समाप्ति दिनांक)	आरम्भ तिथि :-27/02/2026 अन्तिम तिथि :-09/03/2026 प्रातः 12:00 बजे तक
11.	बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करने की आरम्भ एवं अन्तिम तिथि एवं समय	आरम्भ तिथि :- 27/02/2026 अन्तिम तिथि :- 09/03/2026 दोपहर 01:00 बजे तक
12.	बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करने का तरीका	ऑनलाईन E-Proc वेबसाइट पता :- https://eproc.rajasthan.gov.in
13.	बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति जमा करवाने की अंतिम दिनांक एवं समय (डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक)	दिनांक 09/03/2026 समय दोपहर 01:00 बजे तक



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

14.	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक समय व स्थान	दिनांक 11/03/2026 समय दोपहर 01:00 बजे स्थान-क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर पता:-ब्लाक-डी,अम्बेडकर नगर, अलवर (राज.) पिन-301001
15.	बोली वैधता	90 दिन
16.	कार्य की अवधि	01 वर्ष (31मार्च 2027 तक)

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, अलवर

4

Janam

क गुप्त

apsmeent




ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

बोलीदाता हेतु दिशा-निर्देश

1. बोलीदाता को तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ PF, ESI, GST, PAN एवं श्रम विभाग में मानवश्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप Shop & commercial Establishment Act में पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी। विवरण संलग्न प्रपत्र में अंकित करना होगा। तकनीकी बिड में वित्तीय बिड की दरें अंकित ना करे। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
2. बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं प्रस्तुत/संलग्न डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर मय सील करना अनिवार्य है। फर्म/संस्था का अधिकृत व्यक्ति जो बोली प्रपत्रों, शर्तों, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। उसी के साथ अनुबन्ध तथा समय-समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर भी हस्ताक्षर किये जायेगे। प्रत्येक पृष्ठ पर कम संख्या अंकित करना होगा।
3. बोली की तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज Online Pdf File बनाकर Upload करने होंगे।
4. सफल तकनीकी संवेदक की बोली की वित्तीय बिड Online BOQ में Excel File में डालनी होगी। तकनीकी में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड कार्यालय व्यवस्था अनुसार खोली जायेगी।
5. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता, बोलीप्रपत्रों को विभागीय इन्टरनेट साईट <https://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb> से भी डाउनलोड(Download) कर सकते हैं।
6. ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिये Class 3 Digital Signature Certificate प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट स्वीकृति एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं।
7. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल सिग्नेचर के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा।
8. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों के जमा करवाने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच/संलग्न कर दी गई है। बोली प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चाही गई निविदा सेवाओं में उल्लेखित समस्त पदों का संकलित अनुभव रखने वाली फर्म की तकनीकी बोली ही स्वीकार्य होगी।
10. कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग/कार्यालय नहीं होगा।
11. ऑनलाईन बोली निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष डाउनलोड की जावेगी।
12. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही कार्यालय व्यवस्था अनुसार वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
13. बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति (डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक), जो बिड प्रपत्र में निर्धारित की गई है, को भौतिक रूप से जमा करवाने की अंतिम दिनांक एवं समय के डी.डी. दिनांक 09/03/2026 को दोपहर 01:00 बजे तक बन्द लिफाफे में इस कार्यालय की











क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001
Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

- टेण्डर पेटी में अवश्य डालें। बन्द लिफाफे पर मध्य भाग में स्पष्ट अक्षरों में "मेन पावर बोली देय शुल्क" लिखें एवं नीचे संबंधित फर्म का नाम लिखें। उसके बाद डी.डी. प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं की तकनीकी एवं वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी।
14. बोली प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षर कर दिये हैं, इनका पालन करने के लिये मैं सहमत हूँ तथा पालन करूंगा।
 15. बोली को बिना कारण बताएँ निरस्त करने का अधिकार, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर का होगा।
 16. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र अलवर होगा।

हस्ताक्षर निविददाता मय सील

५

रुज्जा



Raman

spmsreemf



ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026
बोलीदाता हेतु महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश

1. वित्तीय दरों को तकनीकी बोली प्रपत्र तथा तकनीकी बोली के साथ अपलोड किये जाने दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं करे, ऐसा करने पर बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता को ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
3. तकनीकी बिड को ई-प्रोक्योरमेन्ट पर ही ऑनलाईन अपलोड करें, इस कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
4. तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड को ऑनलाईन वेबसाइट <https://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करें।
5. बोलीदाता के पास, सेवाकर खाता संख्या एवं आयकर खाता संख्या (पैन) होना आवश्यक है।
6. संवेदक द्वारा प्रत्येक माह के बिल मय उपस्थिति माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। जिसका सत्यापन कार्यालय अध्यक्ष से कराना होगा। भुगतान चैक पद्धति से किया जायेगा। EPF, ESI, GST जमा कराने का चालान आगामी माह में बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसमें सभी सेवा निष्पादक के नाम स्पष्ट रूप से अंकित होंगे।
7. संवेदक द्वारा सेवा निष्पादक को मासिक भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा संवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके द्वारा पिछले माह का भुगतान (EPF, ESI) समस्त श्रमिकों को कर दिया गया है।
8. बोलीदाता सेवा शुल्क की अव्यवहारिक दरें प्रस्तुत ना करें। दरें पूर्ण रूपये में ही स्वीकार होगी उदाहरण रू. 1,2,3,4,5,100,200, प्रति सेवा निष्पादक सर्विस चार्ज 1 रू. से कम प्रस्तुत करने पर बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। दशमलव के बाद अंक 00 होगा। पैसे में राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
9. सफल बोलीदाता के निर्धारण का मापदण्ड वित्तीय बोली की तालिका के कॉलम संख्या 10 में अंकित कुल न्यूनतम कीमत (कॉलम संख्या 10 के कुलयोग) राशि होगी जिस बोलीदाता की सबसे कम होगी उसे ही सफल माना जायेगा।
10. कार्यालय द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान में यदि देरी भी होती है तो संवेदक को सेवा निष्पादक को 07 तारीख तक भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा।
11. शिकायत में 03 से अधिक बार भुगतान में देरी प्रकरण पर अन्य फर्म को कार्य आदेश दिया जा सकेगा व फर्म की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. कौशल विकास योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व भारत सरकार की अन्य योजनाओं में सेवा निष्पादक को कार्यालय द्वारा आदेशित करने पर जोड़ा जायेगा।
13. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोली में भाग लेने हेतु अर्हत् होगा। पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संवेदक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. सेवा निष्पादक सामान्यतः क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के कार्यालय समय के अनुसार उपलब्ध कराना होगा, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिन कार्य पर बुलाया जा सकता है जिसका कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर - 301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

15. सेवा प्रदाता द्वारा किसी सेवा निष्पादक को लगाने व हटाने से पूर्व कार्यालय को सूचित करना होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत सेवा प्रदाता/सेवा निष्पादक के संबंध में प्राप्त होने पर श्रम विभाग को सूचित कर उपापन संस्था द्वारा RTPP नियमानुसार DEBAR व कार्य आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
16. किसी भी सेवा निष्पादक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं होने/उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की मौखिक/लिखित शिकायत प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवा समाप्त कर दी जावेगी तथा सेवा प्रदाता कार्यालय के आदेशानुसार तुरन्त प्रभाव से उसके स्थान पर नये सेवा निष्पादक को लगायेगा।
17. श्रम विभाग अथवा मण्डल स्तर से यदि दरों में संशोधन किया जाता है तो सेवा प्रदाता द्वारा उसका भुगतान बढी हुई संसोधित दरों के अनुसार किया जायेगा जिसका पुनर्भरण 10 दिवस में कार्यालय से होगा।
18. सनदी लेखाकार द्वारा दिये गये टर्नओवर सर्टिफिकेट UDIN पद्धति से ही मान्य होंगे।
19. बिलों में नियमानुसार GST देय होगा तथा TDS की कटौती की जायेगी।
20. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली मानव संसाधन सेवाएं अस्थायी होगी तथा ठेका/अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर उसके द्वारा लगाये कर्मियों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। सेवाओं को नियमित नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा। ठेकेदार श्रम विभाग की दरों, शर्तों, नियम एवं विनियम आदि की पालना स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित करेगा। तकनीकी बिड में बोलीदाता द्वारा मानव संसाधन सेवाओं के उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची (नाम, पिता का नाम, निवास पता, ई.पी.एफ. एवं इ.एस.आई. पंजीकरण संख्या अंकित करते हुए) प्रपत्र 04 करनी होगी। जिसके अभाव में तकनीकी बिड में असफल घोषित कर दिया जावेगा।
21. संवेदक को प्रबोधन केन्द्र हेतु क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला हेतु वैज्ञानिक सहायक इत्यादि क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाने होंगे। अतिरिक्त मांग की स्थिति में 03 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे एवं उनकी संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकेगी।
22. संवेदक संबंधित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात/दस्तावेजों की स्व:हस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखायेगा एवं मांगने पर फोटोप्रति भी उपलब्ध करवाएगा। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, कागजात एवं दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता संबंधी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।
23. किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड एवं शास्ती की राशि फर्म/संवेदक को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि मे से वसूल करने का अधिकार इस विभाग का होगा।
24. बोलीदाता का सक्षम श्रम अधिकारी से श्रम प्रावधानों के अन्तर्गत मानव श्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप में Shop & Commercial Establishment Act 1958 में पंजीयन या इण्डियन

24

24/08/2014



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001
Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

- पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है।
25. निविदादाता की वित्तीय स्थिति सुदृढ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 20.00 लाख रुपये की जो वर्ष 2025 से पूर्व की न हो संलग्न होना आवश्यक है।
 26. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर को लिखित में संवेदक द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म जो पहले सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा तथा फर्म में नया/नये भागीदार, संविदा शर्तों/नियमों को पूर्ण रूप से मानने/स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा/होंगे।
 27. बोलीदाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-2024 एवं 2024-2025) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Assessed Turnover कम से कम 30.00 लाख रु. (प्रपत्र-1) होना चाहिए। इसके लिए बोलीदाता को बोली प्रपत्र के साथ आयकर विभाग में दाखिल की गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा Audited Balance Sheet की प्रति अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा जारी सर्टिफाईड Assessed Turn over 30 lacs or above की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। CA द्वारा जारी समस्त प्रमाण पत्र UDIN पद्धति से होने चाहिये।
 28. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चाही गई निविदा सेवाओं में उल्लेखित समस्त पदों का संकलित अनुभव रखने वाली फर्म की तकनीकी बोली स्वीकार्य होगी।
 29. सेवाओं का समय राज्य सरकार/कार्यालय के निर्धारण अनुसार होगा, किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात् अवकाश के दिन भी सेवाएं ली जा सकती हैं। इसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
 30. सेवा प्रदाता फर्म/संवेदक द्वारा उपलब्ध कार्मिक द्वारा सेवा के दौरान जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि होने पर हानि एवं क्षतिपूर्ति के लिए संवेदक/फर्म का उत्तरदायित्व होगा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 31. बोलीदाता को राजकीय विभागों, निगमों, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थाओं या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालयों में निविदा सेवाओं में उल्लेखित समस्त पदों हेतु सेवा निष्पादक/कार्मिकों की आपूर्ति कराने का पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) में कुल तीन वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य में विभाग द्वारा जारी संतोषजनक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, केवल कार्य आदेश ही मान्य नहीं होगा। तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ कम से कम 15 सेवा निष्पादकों/कार्मिकों की विगत 3 माह (दिसम्बर 2025 से फरवरी 2026) की ई.पी.एफ जमा पैमेंट कन्फॉरमेशन रिपोर्ट स्वहस्ताक्षरित संलग्न करना आवश्यक है।
 32. श्रमिकों की संख्या बढ़ाने, घटाने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर का होगा।

4



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001
Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

33. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल श्रमिक/अवयस्क (18 वर्ष की आयु से कम), अवांछनीय व्यक्ति न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो।
34. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले व्यक्तियों (मेनपावर) को उनके परिचय पत्र बनवाकर देना अनिवार्य होगा, जो क्षेत्रीय कार्यालय में ड्यूटी के दौरान संबंधित व्यक्तियों के पास पॉकेट/गले में पहचान हेतु अनिवार्य होगा। सेवा निष्पादक से किसी भी प्रकार का नुकसान, चोरी, हानि आदि होने पर संवेदक से वसूली की जायेगी।
35. सेवा निष्पादक को सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
36. सेवा प्रदाता फर्म/संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले समस्त सेवा निष्पादकों/कार्मिक का राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र एवं पुलिस वैरिफिकेशन 01 माह के अन्तर्गत कार्यालय प्रस्तुत करना होगा, जो छः माह से अधिक पुराना न हो।
37. संवेदक को राज्य सरकार/ मण्डल मुख्यालय की विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के तहत जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुसार तथा कार्यालय के आदेशानुसार संसोधित मानदेय पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
38. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14/11/2018 के पालना में :-
 - बोलीदाता (Bidder) के द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधिक अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।
 - सफल बोलीदाता को यह शपथ-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि बोली अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधिक अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो तदानुसार पंजीकरण संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।
39. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
40. समस्त सेवा निष्पादकों/कार्मिकों को प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा/कार्य दिवस एवं कार्य (राज्य सरकार द्वारा) समय-समय पर परिवर्तन करने पर तदानुसार मान्य होगा।
41. सफल निविदादाता को कार्यादेश, मण्डल मुख्यालय से प्राप्त स्वीकृति/निर्देशों के अधीन जारी किया जावेगा।
42. अनुबंध आदेशानुसार नियत दिनांक से सेवा निष्पादक/कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे। अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।

ly

कृष्ण कुमार

spsmeeeng



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001
Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

43. सेवा निष्पादक/कार्मिक निरन्तर 03 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार पेनल्टी प्रति कार्मिक 200/- रुपये प्रति दिवस काटी जायेगी।
44. आवश्यकता/उपयुक्त समझे जाने पर समानान्तर दर पर अनुबन्ध किया जा सकेगा।
45. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/नियम/अन्य शर्तें मान्य होगी।
46. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
47. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/निविदादाता का होगा।
48. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/निविदादाता ही उक्त प्रकार की निविदा में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड की जायेगी।
49. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/निविदादाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
50. संवेदक/निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
51. संवेदक/निविदादाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक/निविदादाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
52. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा। चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन के कार्य के लिए भी संवेदक/निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
53. संवेदक/निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/निविदादाता की ही होगी। संवेदक/निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न

4

रजि. अमान

spsmearf



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

- होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा।
54. यदि संवेदक/निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/निविदादाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर उत्तरदायी नहीं होगा।
55. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा।
56. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
57. सेवा निष्पादक/कार्मिक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में निविदादाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। सेवा निष्पादक/कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/ निविदादाता द्वारा निविदा की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर सेवा निष्पादक/कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
58. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।
59. मूल्यांकन की कसौटी- निविदा में सफल/क्वालिफाइड निविदादाता/संवेदक की प्रति ईकाइ प्रति माह कुल न्यूनतम कीमत (कॉलम संख्या 10 के कुलयोग) के आधार पर वित्तीय निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा। वित्तीय निविदा में प्रति ईकाइ प्रति माह कुल न्यूनतम कीमत एक से अधिक निविदादाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा राजकीय विभागों, निगमों, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थाओं या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पूर्व में किये गये उक्त प्रकृति के कार्य का कुल निरन्तर अनुभव (पात्रता योग्य, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर) पर तत्पश्चात निविदादाता के गत 03 वित्तीयवर्ष (2022-23, 2023-24, एवं 2024-25) के अधिकतम औसत टर्नओवर के आधार पर उपापन समिति सुविधानुसार गुणावगुण के आधार पर न्यूनतम निविदा दाता की निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नहीं होगा तथा कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य नहीं होगी।
60. बोलियों का अपवर्जन :-अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर निविदा को अपवर्जित किया जा सकेगा।
61. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):-
(अ) निविदा आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर के नाम पर जमा करानी होगी

44



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

- एवं राशि 500 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- (ब) सफल निविदा लगाने वाले की दशा में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 07 दिवस में कार्यालय में जमा करानी होगी।
- (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
62. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण Security (Forfeiture of Work Performance Deposit) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब निविदादाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
63. भुगतान:- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 05 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
64. निविदा के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर से सम्पर्क किया जा सकता है।
65. मैं/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना 02/2025-26 दिनांक 26.02.2026 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ई.बिड के साथ संलग्न (अपलोड) किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जाँच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही हैं। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील
नाम-

4

पुस्तक

Iman



ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

तकनीकी बोली प्रपत्र

1.	बोली आमंत्रित करने वाला कार्यालय	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर पता:-ब्लॉक-डी, अम्बेडकर नगर, अलवर (राज.) पिन-301001														
2.	बोली आमन्त्रण का संदर्भ	ई- निविदा सूचना संख्या - 02/2025-2026														
3.	बोली के अधीन कार्य का विवरण	मानव संसाधन किराये पर लिया जाना- कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन-03, प्रयोगशाला परिचारक -01, क्षेत्र सहायक(प्रयोगशाला हेतु)-01, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-02, बागवान (अंशकालीन)-01, सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)-02														
4.	उपापन संस्था	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर														
5.	बोलीदाता फर्म का विवरण	<table border="1"><tr><td>नाम</td><td></td></tr><tr><td>पता कार्यालय</td><td></td></tr><tr><td>टेलीफोन नं.</td><td></td></tr><tr><td>मोबाईल नं.</td><td></td></tr><tr><td>प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम</td><td></td></tr><tr><td>ई-मेल</td><td></td></tr><tr><td>वेबसाइट</td><td></td></tr></table>	नाम		पता कार्यालय		टेलीफोन नं.		मोबाईल नं.		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम		ई-मेल		वेबसाइट	
नाम																
पता कार्यालय																
टेलीफोन नं.																
मोबाईल नं.																
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम																
ई-मेल																
वेबसाइट																
6.	क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है? यदि हां तो.....	<table border="1"><tr><td>पंजीयन क्रमांक व दिनांक</td><td></td></tr><tr><td>पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी</td><td></td></tr><tr><td>विधि, जिसके तहत पंजीकृत है</td><td></td></tr><tr><td>पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक</td><td></td></tr><tr><td>राज्य जिसमें पंजीकृत है।</td><td></td></tr></table>	पंजीयन क्रमांक व दिनांक		पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी		विधि, जिसके तहत पंजीकृत है		पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक		राज्य जिसमें पंजीकृत है।					
पंजीयन क्रमांक व दिनांक																
पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी																
विधि, जिसके तहत पंजीकृत है																
पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक																
राज्य जिसमें पंजीकृत है।																
7.	निविदा में उल्लेखित समस्त पदानुसार 03 वर्षों का राजकीय विभागों, निगमों, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थाओं या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालयों में उपलब्ध करवाये गये संविदा कार्मिकों के संबंध में सफलतापूर्वक कार्य अनुभव/ कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर विवरण प्रपत्र 02 में उल्लेखित करे।	उल्लेखित पदानुसार सफलतापूर्वक/संतोषजनक कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें।														
8.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।														
9.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।														

14

कृष्ण

दुग्गुण स्पर्समेन्स



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001
Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
	का पंजीकरण	
10	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
11	वस्तु एवं सेवा कर (GST) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
12	आयकर (पेन) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13	फर्म के अन्तिम तीन वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-2024 एवं 2024-2025 के अंकक्षित अंतिम खाते। Assessed Turn over 30 lacs or above (प्रपत्र-01)	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
14	शपथ पत्र 100 रु. नोन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर ब्लैकलिस्टेड नही होने सम्बन्धी	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
15	निविदादाता की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 20.00 लाख रुपये की जो वर्ष 2025 से पूर्व की न हो संलग्न करें।	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
16	निविदादाता द्वारा विगत 03 माह (दिसम्बर 2025 से फरवरी 2026) की कम से कम 15 व्यक्तियों के ई.पी.एफ जमा पैमेंट कन्फॉर्मेशन रिपोर्ट स्वहस्ताक्षरित संलग्न करना आवश्यक है।	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
17	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक छायाप्रति / केन्सल चैक की प्रति	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
18	निविदादाता द्वारा घोषणापत्र (प्रपत्र-03)	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
19	Annexure-A to D	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
20	तकनीकी घोषणापत्र	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

by



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001
Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

ई-निविदा सूचना सं. 01/2025-2026

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार बोलीदाता/संवेदक द्वारा पंजीकरण इत्यादि का विवरण नियमानुसार प्रस्तुत करें

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

4 (R) Sumay



ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

बोलीदाता द्वारा तकनीकी रूप से पात्र होने की घोषणा क्षेत्रीय अधिकारी, राज, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, अलवर

1. यह कि मैं/हम (नाम).....क्षेत्रीय कार्यालय, रा. प्र. नि. म. अलवर द्वारा प्रकाशित बोली ई-सूचना संख्या 02/2025-2026 दिनांक.....के प्रत्युत्तर के बोली में वर्णित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एतद् द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं:-

- (1) बोली प्रपत्र शुल्क राशि- रुपये जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या.....
- (2) बिड प्रोसेसिंग फीस का जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या.....
- (3) बोलीदाता फर्म/संस्था के पंजीकरण का विवरण पृष्ठ संख्या.....
- (4) 3 वर्षों की सेवाएँ उपलब्धता का संतोषजनक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्रों की पृष्ठ संख्या.....
- (5) श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि पृष्ठ संख्या.....
- (6) पेन (PAN) पृष्ठ संख्या.....
- (7) जीएसटी (GST) पंजीयन का विवरण पृष्ठ संख्या.....
- (8) ESI पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या.....
- (9) EPF पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या.....
- (10) सी. ए. का टर्नओवर प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या.....
- (11) फर्म के वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-2025) के अंकेक्षित अंतिम खाते पृष्ठ संख्या.....
- (12) बैंक खाता पासबुक, निरस्त बैंक की छाया प्रति पृष्ठ संख्या.....
- (13) वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के प्रमाण हेतु बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 20 लाख रुपये तक छाया प्रति पृष्ठ संख्या

2. यह कि इस बोली के संबंध में समस्त शर्तें मेरे हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली गई हैं। जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

3. यह है कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक टेका लाइसेंस लेना होगा, उतनी संख्या में श्रमिकों का बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार पंजीकरण के समस्त विवरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

5. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

6. क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर द्वारा चाहे गये पदानुसार अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं।

नोट:- तकनीकी बोली में उपरोक्त बिन्दु मूल्यांकन की अनिवार्य शर्त है, जिनके आधार पर बोलीदाता सरथा/संवेदक की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

निविदादाता का नाम :.....

4



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

1 कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का विवरण जाँच/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें:-

- i) Computer -Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more. 15" Monitor/TFT or bigger 10/100/1000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical Mouse, Standard serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Pre installed MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.
- ii) Printer:-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Do Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
- iii) UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

2. Trained Personnel

The Personnel should be Graduate; should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheet and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English & also & Kruti Dev Hindi (Mangal Font) Typing Work.

3. Job Work of Computer Operator with Machine-

- As per the Government orders office will run from Morning 9.30 Am to Evening 6:00 PM, So All the operators will have to present and work in that specified time schedule. They also have to come on Government holiday, if they ask to come to office. No extra remuneration will be paid to firm in this regards.
- All the operators must have to good knowledge of Hindi and English typing and printing work.
- All the operators must have to knowledge of data entry work with good speed.
- They have a good knowledge of work with MS Word, MS EXCEL, Powerpoint etc and also mail receiving and sending.
- Knowledge of uploading information in various portals and modules.
- Work related to e-governance with the help computer and other machinery.
- All the work allotted by concerned officer related about all above informations.

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

24

शुभम

spmeent



ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने वाले सेवा निष्पादक/कार्मिक हेतु योग्यता का विवरण

श्रेणी	जॉब श्रमिकों/कार्य का संक्षिप्त विवरण	उक्त कार्य करने बाबत निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता
	1. उच्च कुशल: अनुसूची भाग 1 एवं 2 में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण के अनुसार।	संवेदक उक्त पदों हेतु नियमित भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसार उपलब्ध करवायेगा। 1. संवेदक सम्बन्धित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात/दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा। 2. कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखाएगा एवं मांगने पर फोटो प्रति भी उपलब्ध करवाएगा। 3. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक कागजात दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता सम्बन्धी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।

1. प्रयोगशाला परिचर व क्षेत्र सहायक (Field Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्रमशः माध्यमिक व सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। विज्ञान संकाय होने पर प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। जिनका कार्य क्षेत्रीय प्रयोगशाला में तकनीकी कार्मिकों का सहयोग व वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन, एवं प्रयोगशाला संबंधी कार्य में सहायथार्थ कार्मिक होगा।
2. उक्त कार्य हेतु राजकीय विभागों निगमों, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से सम्बद्ध प्रयोगशाला में न्यूनतम 03 वर्ष प्रयोगशाला परिचर व क्षेत्र सहायक (Field Assistant) आपूर्ति करने का अनुभव मय संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
3. विशेष विवरण- उच्च कुशल कार्य से आशय है ऐसा कोई भी कार्य जिसमें संघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्य के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है।
4. बागवान (अंशकालीन) को चार घण्टे से कम की ड्यूटी में लगाया जावेगा जिसे कार्यालय परिसर स्थित बगीचे के रख-रखाव, साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी बागवान की होगी। बागवान को गार्डन में लगी हुई धास एवं पौधों की कटाई, मौसम अनुसार गमलों एवं गार्डन के चारों ओर फुलवारी लगाना, पैड पौधों की देखभाल, उनमें पानी एवं खाद तथा कीटनाशक डालना आदि कार्य करने होंगे। इस हेतु आवश्यक औजार, धास कटाई मशीन संवेदक द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी तथा पेड पौधे गमले इत्यादि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

24



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

5. सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित कार्यालय समयपूर्व अंशकालीन आधार पर ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय सफाई हेतु आवश्यक सामग्री कार्यालय द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी। क्षेत्रिय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नहीं जलाया जावेगा।

6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार (सुबह 9.30 - सांय 6.00 बजे) ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सामान्यतः कार्यालय में स्थापित टेबिल, कुर्सी, बैंच, अलमारी आदि की सफाई करना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु पीने का पानी भरना, कार्यालय की पत्रावलियों, फाइलों, रिकार्ड इत्यादि का आदेशानुसार लाना एवं ले जाना, कार्यालय फर्नीचर को व्यवस्थित रखना एवं प्रभारी द्वारा बताये गये अन्य कार्य करने होंगे।

वित्त विभाग (G & T) राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक.एफ.2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक-20.04.2018 व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी संशोधन परिपत्रों व स्पष्टीकरण परिपत्रों की पालना के अनुसार ही मानव संसाधन का उपापन किया जायेगा।

नोट:- उपरोक्त सभी सेवा निष्पादक/ श्रमिक 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिये।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

by



ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

प्रपत्र-01

वित्तीय टर्न ऑवर

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ऑवर (राशि रू. लाखों में)
1.	2022-23	
2.	2023-24	
3.	2024-25	

सी.ए. द्वारा जारी सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

सी.ए. द्वारा दिये गये टर्नओवर सर्टिफिकेट UDIN पद्धति से ही मान्य होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील



ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

प्रपत्र-02

उल्लेखित पदानुसार अनुभव कार्य का विवरण (पांच वर्षों से पुराना नहीं)
(2020-21 से 2024-25)

क्र. सं.	उपलब्ध करवाये गये कार्मिको/श्रमिको का पद	संख्या	कार्य की अवधि	संस्थान का नाम
1.	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक			
2.	बागवान (अंशकालीन आधार पर)			
3.	प्रयोगशाला परिचर			
4.	क्षेत्र सहायक			
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी			
6.	सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर)			

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

4



ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026
प्रपत्र-03

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम धोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते हैंकि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एवं वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वाछिंत मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एवं RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

by

मय मोहर

मय मोहर

मय मोहर



(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

ब्लैक लिस्ट/अयोग्य न होने तथा अन्य सक्षमताएँ पूरी करने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-

1. हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा कम्प्यूटर आईटम्स यथा लेपटॉप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, व मानव संसाधन सेवाएँ आदि की आपूर्ति को संतोषप्रद रूप से पूर्ण नहीं करने के लिये कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है और न ही ब्लैक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।
2. यह है कि इस बोली हेतु हमारी फर्म आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबंधकीय स्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करती है।
3. यह है कि हमारी फर्म द्वारा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों का भुगतान किया जा चुका है और कोई भी कर बकाया नहीं है।
4. यह है कि हमारी फर्म दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं है, न ही किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखती है न ही फर्म का कार्यकलाप निलंबित है और न ही पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिये भी विधिक कार्यवाहियों के अध्ययधीन है।
5. यह है कि हमारे वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती 3 वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिये अपनी अहर्ताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दाण्डिक अपराध के संबंध में हमारी फर्म अथवा फर्म के निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं और न ही विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

निविदादाता का नाम :.....
मोबाईल नम्बर :.....
पूर्ण पता :.....

ly

क

Sumey

Asmeem



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1 Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. Below it, there are initials 'R' and 'S'. In the center, there is a signature that appears to be 'Suman'. On the right, there is a signature that appears to be 'Suman' with a long horizontal line underneath it.



- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

Appellant's Signature

24
कुसा
Damen
spsmen



Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to.....for procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No. Dated..... I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:.....

Signature of bidder

Palace:.....

Name:.....

Designation:.....

Address:.....



Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Member Secretary Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairperson, RSPCB Jaipur

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality;

(5) Form of Appeal





- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6) Fee for filing appeal**
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal**
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;
- (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Appellant's Signature

५ (५) अलवर



FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No

of.....

.....

Before the

.....

(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

- (i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....

.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

.....

Place:.....

Date:.....

Appellant's Signature

by



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors


Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.
- (ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original





contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Appellant's Signature

by (P) Sumit

Sumit



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

प्रपत्र-04

क्र. सं.	उपलब्ध करवाये जाने वाले कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	निवास पता	ई.पी.एफ. पंजीकरण संख्या	ई.एस.आई पंजीकरण संख्या
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर)

74

2/2/2024

Amay

psmeens



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर -301001

Website www.environment.rajasthan.gov.in Email: ro.alwar@gmail.com

ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-2026

E-PROC पर वित्तीय निविदा अपलोड करने हेतु प्रपत्र

संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। (मय संख्या)		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत 13%	ESI दर प्रतिशत 3.25%	सामग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)	कुल राशि रु (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक	उच्च कुशल	12000/- (प्रति कार्मिक)	03 (तीन)					
2	बागवान (अशकालीन आधार पर)	कुशल	4017/- (प्रति कार्मिक)	01- (एक)			-		
3	प्रयोगशाला परिचारक	कुशल	8034/- (प्रति कार्मिक)	01- (एक)			-		
4	क्षेत्र सहायक (प्रयोगशाला हेतु)	कुशल	8034/- (प्रति कार्मिक)	01 (एक)			-		
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	10000/- (प्रति कार्मिक)	02 (दो)			-		
6	सफाई कर्मचारी (अशकालीन आधार पर)	अकुशल	3705/- (प्रति कार्मिक)	02 (दो)			-		

1. वित्तीय बोली प्रपत्र मात्र E-PROC पोर्टल पर निर्धारित BOQ Exel File द्वारा अपलोड करनी है। किसी भी स्थिति में दरे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत ना करें। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
2. कम संख्या 1 एवं 5 में चाही गई सेवाओं हेतु राज्य मण्डल द्वारा संरक्षित न्यूनतम राशि उल्लेखित की गई है। इससे कम की राशि निविदा प्रपत्र में अंकित किये जाने पर निविदा प्रपत्र अस्वीकार कर दिये जावेगे।
3. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण कॉलम संख्या 10 के कुल योग के आधार पर किया जायेगा।
4. संवेदक/निविदादाता को वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील
दिनांक